

थाना गंज:-01 किलो 100 ग्राम चरस के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 10-11-2023 को थाना गंज पुलिस द्वारा 1-मोहम्मद अली पुत्र शादाब निवासी काले खान की मस्जिद थाना गंज, रामपुर उम्र 27 वर्ष 2-नाजिल पुत्र नाजिम निवासी मदीना मस्जिद बर्फ वाली मिल थाना गंज, रामपुर उम्र 25 वर्ष को कुल 01 किलो 100 ग्राम चरस नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना गंज पर मु0अ0सं0-239/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उपनिरीक्षक श्रीमती पूजा यादव

हेड कांस्टेबल 683 देवेंद्र सिंह

हेड कांस्टेबल 391 राहुल कुमार थाना गंज रामपुर।

थाना टाण्डा:-वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

वादी मौ0 रऊफ पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम सोनकपुर थाना टाण्डा जिला रामपुर की तहरीर के आधार पर दिनांक 25.10.23 को थाना टाण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-488/23 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त नासिर पुत्र सनब्बर निवासी सोनकपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर को आज दिनांक 10.11.23 को थाना टाण्डा पुलिस द्वारा सोनकपुर तिराहा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री नीरज कुमार शर्मा

हे0का0 856 सौरभ कुमार

का0 1885 शीलरतन गौतम

का0 157 विकास कुमार।

थाना शहजादनगर:- एक अद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10.11.2023 थाना शहजादनगर रामपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान काशिम उर्फ गटुआ पुत्र बदलू नि0 ग्राम नौगवा थाना शहजादनगर जिला रामपुर को एक अद नाजायज चाकू के साथ ग्राम नौगवा की तरफ पुलिया पर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0 180/23 धारा 4/25 ए.एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. हे0का0 422 जवर सिंह

2. से0का0 894 सुनील कुमार।

थाना पटवाई:- एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10.11.2023 थाना पटवाई पुलिस द्वारा दुर्गेश पुत्र रामकुवर निवासी ग्राम सुर्जनपुर थाना पटवाई जनपद रामपुर को सुर्जनपुर तिराहे के पास से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर मय 02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना पटवाई पर मु0अ0सं0-132/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना केमरी:-90 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 09.11.2023 को थाना केमरी पुलिस द्वारा 1-लाला राम पुत्र कडडे निवासी ग्राम चकिया हयातनगर थाना केमरी जनपद रामपुर उम्र लगभग 40 वर्ष को ग्राम चकिया हयातनगर रेलवे फाटक के पास से 20 ली0 नाजायज शराबखाम के साथ 2-महेन्द्र पुत्र नन्हू राम निवासी हुरमतनगर थाना केमरी जनपद रामपुर को ग्राम हुरमतनगर मोड पर धर्मकांटा के पास से 20 ली0 नाजायज शराबखाम के साथ 3-मंगला पुत्र धन सिंह निवासी मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना केमरी जनपद रामपुर उम्र करीब 30 वर्ष को कस्बा केमरी रेलवे स्टेशन रोड से नदी की तरफ जाने वाली कच्ची रोड से 20 ली0 नाजायज शराबखाम के साथ 4- कलुआ पुत्र अहमद रजा खां निवासी वार्ड न0 3 मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना केमरी जनपद रामपुर को पीलाखार डेम के पास से जनूनागर जाने वाले रास्ते पर से 30 ली0 अवैध शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना केमरी पर धारा 60(1) आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना शाहबाद:- दहेज हत्या में बांछित चल रहा एक अभियुक्त व एक महिला अभियुक्ता गिरफ्तार-

दिनांक 06.11.2023 को वादी श्री मलखान सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम परोता थाना शाहबाद जनपद रामपुर की तहरीर पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-254/2023 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. करतार सिंह पुत्र विजयपाल (दामाद), 2. श्रीमति सत्यवती उर्फ बेतिया पत्नी विजयपाल (सास), 3. विजयपाल पुत्र तेजराम (ससुर), 4. भोले पुत्र विजयपाल (देवर) निवासीगण ग्राम बरखेड़ा थाना शाहबाद जनपद रामपुर में बांछित चल रहे अभियुक्तगण में से 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 1. करतार सिंह पुत्र विजयपाल 2. श्रीमति सत्यवती उर्फ बेतिया पत्नी विजयपाल निवासीगण ग्राम बरखेड़ा थाना शाहबाद जनपद रामपुर को बिलारी अड्डा कस्बा शाहबाद के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. करतार सिंह पुत्र विजयपाल,
2. श्रीमति सत्यवती उर्फ बेतिया पत्नी विजयपाल निवासीगण ग्राम बरखेड़ा थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री अमरपाल सिंह

का0 843 अभिमन्यु सिंह

का0 1631 पिन्दू सिंह

का0 1736 रोहित कुमार

म0का0 466 सृष्टि चौधरी।

थाना बिलासपुर:-20 ली० नाजायज शराबखाम के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10/11/2023 को थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा विक्रि पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम कोटा अली नगर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को बिलासपुर मेन रोड से कोटा अली नगर गांव को जाने वाले कच्चे रास्ते से एक जरीकेन में 20 ली० नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु०अ०स०-374/23 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ० नि० राजीव कुमार त्रिपाठी

हे० का० 814 जमील अहमद

का० 1900 देवेन्द्र सिंह ।

थाना मिलक:-50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 10-11-2023 को थाना मिलक पुलिस द्वारा 1-राहुल कुमार पुत्र रामभरोसे लाल निवासी ग्राम खमरिया धाना मिलक जनपद रामपुर को श्यामपुर तिराहे के पास से, 2-हरिओम पुत्र भवानी शंकर गोस्वामी निवासी मौ० असदुल्लापुर थाना मिलक जनपद रामपुर को हनुमान मूर्ति के पास से 20-20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 3- जीशान पुत्र शकील शाह निवासी ग्राम तरव्वा थाना मिलके जनपद रामपुर को तरव्वा भट्टे की बिल्डिंग के पास से 10 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना मिलक:-02 अद् नाजायज चाकू के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 10-11-2023 को थाना मिलक पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्रान्त पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम पिपला शिवनगर थाना मिलक जनपद रामपुर को एक अद् नाजायज चाकू के साथ सुलभ शोचालय के पास बाकराबाद रोड की तरफ से तथा अभियुक्त अंकित पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम रेवडी कला थाना मिलक जनपद रामपुर को एक अद् नाजायज चाकू के साथ पंचायत भवन के पीछे से गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना अजीमनगर:- एक अद् नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 09.11.2023 को थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा राजू पुत्र किशनलाल उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम करनपुर थाना अजीमनगर जनपद रामपुर को ग्राम करनपुर अड्डे के पास से एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु०अ०स० 251/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ०नि० श्री योगेश कुमार

2.हे०का० 112 संदीप कुमार

3. हे०का० 866 राहुल पंचाल

थाना खजुरिया:- एक अद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 09/11/2023 को थाना खजुरिया पुलिस द्वारा शकील शाह पुत्र जमील शाह नि0 सितौरा थाना खजुरिया जिला रामपुर उम्र 22 वर्ष को एक अद चाकू नाजायज के साथ ग्राम गोधी से सितौरा जाने वाले रास्ते पर पुलिस के 10 कदम खर्रे को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0 112/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 49/22 धारा 379/411 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार

हे0का0 564 ध्यानपाल सिंह

हे0का0 427 ओमपाल सिंह

का0 480 शिवा यादव

थाना खजुरिया:- 10ली0 नाजायज शराबखाम के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 09/11/2023 को थाना खजुरिया पुलिस द्वारा सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अहरो थाना खजुरिया जि0 रामपुर उम्र करीब 22 वर्ष को एक प्लास्टिक की केन में 10 लीटर कच्ची शराब खाम के साथ ग्राम अहरो नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0 111/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

हे0का0 222 अनिल कुमार

का0 1386 बन्दी सम्राट

थाना भोट:- 40ली0 नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 10/11/2023 को थाना भोट पुलिस द्वारा इलियास पुत्र बच्छन नि0 ग्राम मिलक मिर्जा थाना भोट जनपद रामपुर को ग्राम पंजाबी वाला मझरा से एक प्लास्टिक की केन में 20 ली0 अवैध शराबखाम तथा इरशाद पुत्र बच्छन नि0 मिलक मिर्जा थाना भोट जनपद रामपुर को करीमपुर शर्की से एक जरीकेन में 20 ली0 अवैध शराबखाम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भोट पर धारा 60(1) आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:- 200 गोलियां एल्प्राजोलम के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10.11.2023 को थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर पुलिस द्वारा भूरा पुत्र निशार नि0 ग्राम अजीतपुर थाना सि0ला0 जनपद रामपुर को अलीनगर जूनी को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 200 गोलियां एल्प्राजोलम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-390/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रमोद कुमार

हे0का0 383 अंकुर कुमार

का0 161 अरुण कुमार ।

थाना सिविल लाइन:-02 अद नाजायज चाकू के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 10.11.2023 को थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 389/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त देवानन्द पुत्र रामगोपाल कोरी निवासी मौहल्ला गढी पुर्वी जूनियर हाईस्कूल के सामने कस्बा कांट थाना कांट जनपद शाहजहांपुर हाल पता बी0 140 नई आवास विकाश कालोनी सिविल लाईन जनपद रामपुर तथा मु0अ0सं0 391/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भूप सिंह पुत्र पन्नू नि0 ग्राम खरदिया थाना स्वार जिला रामपुर हाल पता गंगापुर थाना सि0ला0, रामपुर को एक-एक अद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी ।